

घायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-पंचायत मुख्यालय, भाटा

प्रकरण सं.:-92/2018

दिनांक:- 24.5.18

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1174

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र व पटवारी जूनामीठा खेड़ा एवं मू.अ. नि.सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम भाटा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत क्रमशः 2071-2074 में खाता संख्या 166 में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	भाटा	166	71 76 823	लच्छा पुत्र भभूता	लच्छा उर्फ लच्छूसिंह पुत्र भभूतसिंह <u>शेष बदुस्तर</u>

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी
दिनांक:- 24.5.18



क्रमांक:-लो.अदा./2018/1175-1177

प्रतिलिपि-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है,कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री लच्छा उर्फ लच्छूसिंह पुत्र भभूतसिंह जाति पुरोहित निवासी भाटा तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी